प्र.सं. 28/2018 श्रीमती सुशीला देवी व अन्य बनाम सुरेश सिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 की मौरूसी आराजी नंबर 224 मी. रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नंबर 225 मी. रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जो हरिदास जी की होकर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 8 उनके वारिसान हैं। उक्त आराजियात में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/7, 1/7 हिस्सा होकर इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी नंबर 225 मी. पाल है तथा कुछ समय पूर्व पाल टूट जाने से आराजी नंबर 224 मी. में पानी नहीं रूकता है इसलिए प्रार्थीगण टूटी पाल की पुनः बनाने हेतु गये तो विपक्षी संख्या 9 से 11 ने पाल बनाने से रोका तथा लड़ाई झगड़ा किया, जिस पर प्रार्थीगण पटवारी हल्का के पास गये तो पता चला कि बिकाव के आधार पर विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 9 से 11 के नाम दर्ज हो गयी है। जिस पर राजस्व रेकार्ड की नकलें निकलवाने पर मालुम हुआ कि हरिदास जी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम खुलवा लिया, जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं होने दी तथा इस गलत नामान्तरकरण के आधार पर भगवतसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए अपनी पत्नी व पुत्री विपक्षी संख्या 6 से 8 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी, जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 6 से 8 का नाम दर्ज हो गया जो गलत है। विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है एवं स्थिति में बिना बंटवारे के विपक्षी संख्या 2 द्वारा जो दान किया गया है, जो नुमाईशी होकर प्रार्थीगण के मुकाबले बेअसर व शून्य है। तथाकथित नकलें लेने से यह जाहिर आया कि विपक्षी संख्या 6 से 8 द्वारा दिनांक 11.10.2012 को 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 9 से 11 को कर दिया गया है जो बिना अधिकार के है। उक्त विक्रय पत्र की आड़ में विपक्षी संख्या 9 से 11 विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं कर सकते। विपक्षी संख्या 9 से 11 स्ट्रेन्जर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:00 IST
Reason: SelfAttested

परचेजर हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 9 से 11 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वह सद्भावी केता हैं। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.12.2012 को प्रकरण में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की तथा दिनांक 16.04.2018 को प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए पूर्व में जारी उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात विभाजन से विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्राप्त होना मानने में भूल की है। कथित विभाजन में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे इसलिए अपीलान्ट के मुकाबले कोई विभाजन हुआ ही नहीं, जिससे अपीलान्ट पाबन्द नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी संख्या 9 से 11 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार मानकर एवं मौके पर कब्जा बताने के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट/प्रार्थीया ने कथिन विक्रय पत्र व दान पत्र को वाद पत्र में चुनौती दी है। दान पत्र में अपने हक अधिकारी से अधिक भूमि का दान किया गया है, जो अपीलान्टगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है तथा उसके बाद जो विक्रय विपक्षी संख्या 9 से 11 के नाम में किये गये हैं वह भी अपीलान्ट के मुकाबले शून्य व बेअसर है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त की जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:09 IST
Reason: SelfAttested

तथा धारा 212 में चाहा गया अनुतोष अपीलान्ट/प्राथीगण को दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तथा उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट संख्या 1 हरिदास जी की पत्नी व अपीलान्ट संख्या 2 हरिदास जी की पुत्री होना स्वीकृत तथ्य है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 हरिदास के ही वारिसान हैं। विवादित आराजियात में अपीलान्ट/प्रार्थीगण अपना हक अधिकार रखती हैं अथवा नहीं इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता, किन्तु यदि विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाता है तो विवादित भूमि का आगे और विक्रय हस्तान्तरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों के मध्य विवाद और बढ़ेगा। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.04.2018 निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2012 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:00 IST
Reason: SelfAttested